न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—63/17 (201/00115) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—पारस पिता लक्ष्मण गुर्जर निवासी कोलीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—बंशीलाल पिता लक्ष्मण गुर्जर निवासी कोलीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—मीना पुत्री लक्ष्मण गुर्जर निवासी कोलीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—सीता पुत्री लक्ष्मण गुर्जर निवासी कोलीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—संतोकी पत्नि लक्ष्मण गुर्जर निवासी कोलीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—अमरी बेवा उदा गुर्जर निवासी कोलीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—मांगु पिता भुरा गुर्जर निवासी कोलीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—बद्री पिता रूपा गुर्जर निवासी कोलीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—मांगी पुत्री उदा गुर्जर निवासी कोलीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित

1.—जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2—फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय दिनांक 13.02.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जलामली तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण व विपक्षी 2 व 3 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सामलाती आराजी संख्या 217, 218, 219 286 से 291, 294 से 299 एवं 319 व 320 किता 17 रकबा 3.40 है0 भुमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा शेष हिस्सा 2 और 3 का है। उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र रास्ता ग्राम कोलीखेड़ा की आबादी भूमि से होकर विपक्षी संख्या 1 की आराजी 323 327 ओर 329 मे स्थित विद्यमान कदमी रास्ते से होकर प्रार्थीगण कृषि आराजियात संख्या 291 में जाते है उक्त रास्ता 15 फीट चौड़ा है जिससे प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से आवागमन करते चले रहै किन्तु विपक्षी संख्या प्रार्थीगण से द्वेषता रखता है जिससे आये दिन लड़ाई झगड़ा होता है विपक्षी संख्या 1 विपक्षी संख्या 2 व 3 से दुरभि सन्धि कर कदमी रास्ते को दिनांक 17.05.17 को बन्द कर दिया एवं रास्ते से आवागमन करने पर जान से मारने की धमकी दी जिससे प्रार्थीगण कृषि आराजियात में आवागमन नही कर पा रहै है। विपक्षी संख्या 2 ओर 3 प्रार्थीगण के सह खातेदार है तथा मौके पर अलग अलग काबिज है विपक्षी संख्या 2 और 3 विपक्षी संख्या 1 की भूमि में होकर आते जाते है उनको नही रोकता है और प्रार्थीगण को रोकता है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के कब्जे व हिस्से की कृषि भूमि जिसका वर्णन उपर किया गया है। रास्ते में आने वाली भूमि की किमत नियमानुसार प्रार्थीगण देने को तैयार है। प्रार्थीगणों कें आवागमन हेतु 15 चौड़ा रास्ता विपक्षी संख्या 1 की आराजी नम्बरी 323,

327, 329 में दिया जाकर रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार रास्ता अकिंत कराने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 15.05.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 2 व 3 उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही का निर्णय हो चुका है। विपक्षी संख्या 1 की और से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है विपक्षी द्वारा अपने जवाब में मुख्य रूप से कथन किया की प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी भूमि जो प्रार्थना पत्र में वर्णित है उसमे आवागमन करने का वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है राजस्व रेकार्ड में भी दर्ज है ओर वह भूमि प्रार्थीगण की सामलाती होकर प्रार्थीया अमरी बेवा उदा का सामलाती हिस्सा है आराजी चाह नम्बर 217, 218, 219 286 से 291 सामलाती दर्ज है आराजी 209 रकबा 0.09 है0 और आराजी संख्या 216 रकबा 0.05 है0 भूमि की किस्म रास्ता दर्ज है जिसमें होकर सामलाती चाह व उपरोक्त वर्णित भूमियों में आवागमन करते है विपक्षी मांगु के विरूद्व गलत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है प्रार्थीगण केवल मात्र सुविधाजनक रास्ता लेना चाहता है जो संभव नही है। प्रार्थना पत्र खारीज फरमावें।

प्रकरण में प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम जलामली मजरा केसरपुरा से अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 291 विपक्षी क्रमांक 1 की आराजियात में होकर आते जाते है विपक्षी के अधिवक्ता के द्वारा अपने जवाब में अंकन किया कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 216, 209, जिसको रास्ते की भूमि बताकर इसमें होकर आवागमन करना बताया गलत है यह आराजियात बिलानाम नही होकर खातेदारी भूमि है जो ग्राम और प्रार्थीगण की कृषि आराजी 291 से उत्तर की और है जबकि प्रार्थीगण पूर्वी दिशा की ओर से विपक्षी संख्या 1 की आराजियात में होकर आते जाते है आरआरटी 2018–19 ओमप्रकाश बनाम रूकमणी देवी पेज 511, आरआरटी 2019 (1) मूलचन्द बनाम श्यामलाल पेज 574, आरआरटी 2018–19 (सप्लीमेनटरी) गुरदीतसिंह बनाम जोगासिंह पेज 407, नजीरे पेश की गई जिनके आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपने जवाब में वर्णित तथ्यो को दोराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा जहां रास्ता चाहा गया है जो विपक्षी की खातेदारी आराजी संख्या 323, 327, 329 के मध्य से चाहा गया जिससे आराजी के दो भागो में विभक्त होती जो उचित नही है और खेत के मध्य पर रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित नही है प्रार्थीगण अपनी सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 216, 217, 289 से होता हुआ 291 में पहुंच सकता है इसी के साथ में आरआरटी 2018–19 (सप्लीमेनटरी) रामविलास बनाम रामेश्वर पेज नम्बर 576 की नजीर पेश की गई जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र खारीज फरमावें। ।

प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई।

मैने पत्रावली व उसमे प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया जो पाया कि प्रार्थीगण के नाम स्थित खातेदारी भूमि 291 में आने जाने हेतु विपक्षी आराजी नम्बर 323, 327, 329 में जिस स्थान पर रास्ता चाहा गया है जिससे विपक्षी की आराजियात के दो भाग होते है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा खसरा नम्बर 216, 217 व 289 में होकर आवागमन करने हेतु बताया किन्तु खसरा 216, 217 प्रार्थीगण की आराजियात से उत्तर की और है जो उक्त रास्ता नही होकर खातेदारी भूमि दर्ज रेकार्ड है साथ ही यह ओर है कि

विपक्षी द्वारा बतायी आराजी नम्बर 2916 व 2917 में अगर रास्ता दिया जाता है तो उक्त उक्त दोनो आराजियात का रकबा रास्ते हेतु 0.14 है0 बनता है इसके अलावा भी आराजी नम्बर 216 से उत्तर की ओर खसरा नम्बर 920, 407 आराजियात भी उत्तर की ओर स्थित है जिनमे से होकर आना जाना पड़ेगा जिनका रकबा भी सम्मिलित करने पर रास्ते के रूप मे रकबा भी ज्यादा बनेगा तथा दुरी भी काफी हो जाती है जो मूल धारा 251ए की मंशा के विपरीत है एवं प्रार्थीगण का इन आराजियात की ओर से आना जाना नही होता है तहसीलदार रायपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट का भी अवलोकन करने से पाया कि प्रार्थीगण ग्राम कोलीखेड़ा मजरा की आबादी में स्थित रास्ते से प्रतिवादी मांगु की कृषि भूमि में होकर आना जाना बताया है आराजी संख्या 217, 209 और 216 खातेदारी किस्म गैमु0 रास्ता दर्ज है किन्तु मौके पर उक्त आराजियात कोई रास्ता नही होकर अन्य आराजियात में मिली हुई है प्रार्थीगण प्रतिवादी के आराजी नम्बर 323, 324, 325, 326 के उत्तरी मेड़ से 15 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया जिससे आराजी नम्बर 323 रकबा 0.68 है0 मे से 0.03 है0 और आराजी नम्बर 324 रकबा 0.37 मे से 0.04 है0, आराजी नम्बर 325 रकबा 0.12 है0 मे से 0.01 है0 तथा आराजी नम्बर 326 रकबा 0.24 है0 मे से 0.02 है0 कुल रकबा 0. 10 है0 भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई है जो विपक्षी मांगु पिता भुरा के नाम दर्ज रेकार्ड है। रिपोर्ट के साथ प्रार्थीगण को दिये जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाते हुए नक्शा ट्रेस पेश किया।

प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत आरआरटी 2018–19 ओमप्रकाश बनाम रूकमणी देवी पेज 511, आरआरटी 2019 (1) मूलचन्द बनाम श्यामलाल पेज 574, आरआरटी 2018–19 (सप्लीमेनटरी) गुरदीतसिंह बनाम जोगासिंह पेज 407, नजीरे पूर्णतया इस प्रकरण पर लागु होती है ओर साथ ही विपक्षी संख्या 1 मांगू पिता भूरा के द्वारा दिनांक 31.05.2017 को इसी रास्ते बाबत् प्रार्थी के पक्ष में 100 रूपये के स्टाम्प पर लिखतम प्रस्तुत की गई जो जो पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार भी प्रार्थीगण विपक्षी की आराजियात में होकर आवागमन कर रहे है। ओर न्यूनतम वैकल्पिक मार्ग भी प्रदर्शित है।

विपक्षी अधिक्ता द्वारा प्रस्तुत आरआरटी 2018–19 (सप्लीमेनटरी) रामविलास बनाम रामेश्वर पेज नम्बर 576 नजीर का अवलोकन किया तो इसमें अंकित किया कि प्रार्थी की आराजियात सड़क से जुड़ी है मौका रिपोर्ट सही नही थी– अप्रार्थी को रास्ता पहले से उपलब्ध है तथा अप्रार्थी की सुविधा हेतु नया रास्ता नही दिया सकता है जो इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है चुकिः इस प्रकरण में प्रार्थी की भूमि सड़क/रास्ते से जुड़ी हुई नही है ओर पहले रास्ता उपलब्ध नही है तथा प्रार्थी द्वारा सुविधा हेतु रास्ता नही चाहा जा रहा है। जबकि रास्ते की मौका स्थिति के अनुसार रास्ते की आवश्यकता है।

तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रस्तावित रास्ते को दर्शाते हुए नक्शा ट्रेस पेश किया जिसका अवलोकन किया गया आराजी संख्या 323 मे कुल 0.03 है0 भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई जिससे पश्चिम की और खसरा नम्बर 289 दर्ज है जो प्रार्थीगणों की सहखातेदारी भूमि होकर खसरा नम्बर 291 से लगती हुई है ऐसी स्थिति मे खसरा नम्बर 323 में प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि 289 में आने तक का ही रास्ता दिया जाना उचित है जो प्रार्थीगण अपनी आराजी नम्बर 289 मे होता हुआ खसरा नम्बर 291 मे प्रवेश हो सकता है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रार्थीगण को अपनी संयुक्त खातेदारी आराजी नम्बर 291 आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 की कृषि आराजियात आराजी नम्बर 326 के उत्तरी मेड़ के सहारे रकबा 0.02 है0 भूमि आराजी नम्बर 325 के उत्तरी सीमा के सहारे रकबा 0.01 है0 भूमि आराजी नम्बर 324 के उत्तरी सीमा के सहारे रकबा 0.04 है0 भूमि एवं आराजी नम्बर 323 के उत्तरी सीमा के सहारे रकबा 0.01 है0 कुल रकबा 0.08 है0 भूमि प्रार्थीगण को रास्ता रास्ता हेतु बाजार दर से दी जा सकती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तावित भूमि की बाजार दर 58000/—रूपये प्रति बिघा के अनुसार 1 हैक्टकर की डीएलसी 268400/— रूपये से प्रस्तावित रास्ते की भूमि 800 वर्गमीटर की राशि 21472/—रूपये का दुगुना करने पर 42944/—रूपये रास्ते की भूमि की किमत बनती है जो प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी सख्या 1 को बतौर मुआवजा भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ता बिलानाम दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम जलामली तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नम्बर 291 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 की कृषि आराजियात आराजी नम्बर 323 रकबा 0.68 है0 **मे से रकबा 0. 01 है0** आराजी नम्बर 324 रकबा 0.37 **मे से रकबा 0.04 है0,** आराजी नम्बर 325 रकबा 0. 12 है0 **मे से रकबा 0.01 है0** तथा आराजी नम्बर 326 रकबा 0.24 है0 **मे से रकबा 0.02 है0 कुल रकबा 0.08 है0** भूमि की बाजार दर 58000/—रूपये प्रति बिघा के अनुसार 1 हैक्टकर की डीएलसी 268400/—रूपये से प्रस्तावित रास्ते की भूमि 800 वर्गमीटर की राशि 21472/—रूपये भूमि की किमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 42944/—रूपये भूमि की मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 को बतौर मुआवजा भुगतान करने पर विपक्षी की आराजी नम्बर 323, 324, 325, 326 के उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे पर आम रास्ते से 4 मीटर चौड़ा व 200 मीटर लम्बा आराजी नम्बर 289 की पूर्वी सीमा तक रास्ता बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13.2.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारी:–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:–63 / 17 (201 / 00115) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–पारस पिता लक्ष्मण गुर्जर निवासी कोलीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–बंशीलाल पिता लक्ष्मण गुर्जर निवासी कोलीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–मीना पुत्री लक्ष्मण गुर्जर निवासी कोलीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–सीता पुत्री लक्ष्मण गुर्जर निवासी कोलीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5–संतोकी पत्नि लक्ष्मण गुर्जर निवासी कोलीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6–अमरी बेवा उदा गुर्जर निवासी कोलीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1–मांगु पिता भुरा गुर्जर निवासी कोलीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–बद्री पिता रूपा गुर्जर निवासी कोलीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–मांगी पुत्री उदा गुर्जर निवासी कोलीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :– तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम जलामली तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नम्बर 291 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 की कृषि आराजियात आराजी नम्बर 323 रकबा 0.68 है0 **मे से रकबा 0.01 है0** आराजी नम्बर 324 रकबा 0.37 **मे से रकबा 0.04 है0,** आराजी नम्बर 325 रकबा 0.12 है0 **मे से रकबा 0.01 है0** तथा आराजी नम्बर 326 रकबा 0.24 है0 **मे से रकबा 0.02 है0 कुल रकबा 0.08 है0** भूमि की बाजार दर 58000 / –रूपये प्रति बिघा के अनुसार 1 हैक्टकर की डीएलसी 268400 / –रूपये से प्रस्तावित रास्ते की भूमि 800 वर्गमीटर की राशि 21472 / –रूपये भूमि की किमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 42944 / –रूपये भूमि की मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 को बतौर मुआवजा भुगतान करने पर विपक्षी की आराजी नम्बर 323, 324, 325, 326 के उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे पर आम रास्ते से 4 मीटर चौड़ा व 200 मीटर लम्बा आराजी नम्बर 289 की पूर्वी सीमा तक रास्ता बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 13.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.02.25 16:42:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: